राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4647/2025

मनी राम पुत्र स्वर्गीय श्री बुधा राम, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 5, गाँव डाबड़ियनी खुर्द, पोस्ट रेन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रेलवे क्रॉसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विनोद प्रजापत,
श्री राकेश पटेल।

प्रतिवादी(गण) के लिए : -----

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

20/02/2025

1. याचिकाकर्ता, यहाँ पर, अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादीगण को दिनांक 07.12.2022 (अनुलग्नक 4) और 26.04.2023 (अनुलग्नक 5) की अधिसूचनाओं के अनुसरण में अपने दिवंगत पिता के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए उसके आवेदन पर विचार करने हेतु उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करता है।

2. सबसे पहले संक्षिप्त तथ्य। 26.09.1974 को, याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय श्री बुधा राम, एक सिपाही, सैन्य ड्यूटी के दौरान लेह-लद्दाख में एक रक्षा ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सैन्य अस्पताल में उनका गंभीर स्थिति में इलाज किया गया था। एक चिकित्सा बोर्ड ने बाद में उन्हें 23.10.1975 से स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी सी.ई.ई. (पी) के तहत वर्गीकृत किया, जिससे उन्हें अक्षम चिह्नित

किया गया। आश्रय वाली नियुक्तियों की अनुपलब्धता और इस निष्कर्ष के कारण कि उनकी निरंतर सेवा सार्वजनिक हित में नहीं थी, उन्हें प्रत्युत्तरदाता विभाग द्वारा 01.08.1977 को सेवामुक्त कर दिया गया था। 19 साल बाद, उनका 28.02.1992 को निधन हो गया।

2.1 उनकी मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता नाबालिग था और वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सका। वयस्कता प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने एक निजी नौकरी में काम करना शुरू कर दिया और जानकारी की कमी के कारण नियुक्ति के लिए आवेदन करने का अवसर चूक गया।

2.2 शहीदों के बलिदान को मान्यता देते हुए, प्रत्युत्तरदाता विभाग ने 07.12.2022 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें दिवंगत या स्थायी रूप से अक्षम सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्तियों हेतु राजस्थान विभिन्न सेवा (आठवां संशोधन) नियम, 2022 ('नियम 2022') के तहत प्रावधानों में संशोधन किया गया। इसके बाद, 26.04.2023 को एक और अधिसूचना ने राजस्थान स्थायी पूर्ण अक्षम सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 2023 ('नियम 2023') के तहत स्थायी पूर्ण अक्षम सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर भर्ती के लिए विनियमों को प्रख्यापित किया।

2.3 याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, क्योंकि उसकी माँ, जो 74 वर्ष की हैं, आवेदन नहीं कर सकीं। उसके परिवार के सदस्यों, जिनमें उसकी माँ, भाई और बहन शामिल हैं, ने उसके आवेदन का समर्थन किया है और यदि उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, आवेदन जमा करने के बावजूद, प्रत्युत्तरदाता विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता ने 17.08.2022 और 25.07.2024 को विभाग को कई पत्र भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और केस फाइल की जाँच की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रत्युत्तरदाता विभाग द्वारा जारी दिनांक 07.12.2022 ("नियम 2022") और 26.04.2023 ("नियम 2023") की अधिसूचनाओं के अनुसार, अपने पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार है। हालाँकि, उसके द्वारा कई पत्र भेजे जाने के बावजूद, प्रत्युत्तरदाता विभाग उसके आवेदन पर विचार करने में विफल रहा है। इसलिए,

प्रत्युत्तरदाताओं के सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

5. याचिकाकर्ता की आयु 41 वर्ष बताई गई है और वह दो बच्चों के साथ विवाहित भी है और यह अकल्पनीय है कि वह अपने विवाह के समय या बाद में जब उसने एक नहीं, बल्कि एक के बाद एक दो बच्चे पैदा करके अपने परिवार का विस्तार किया, तब वह अपने दिवंगत पिता पर आश्रित रहा होगा। यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि यदि वह अपने परिवार को खिलाने और देखभाल करने की स्थिति में होता, तभी वह एक पिता और पति के रूप में अपने परिवार के विस्तार के लिए ऐसे कदम उठाता।

6. केवल इसलिए कि राज्य सरकार एक परोपकारी नीति लेकर आई है, वह उन लोगों पर लागू नहीं होती है, जो अन्यथा या तो वित्तीय आधार पर या यहाँ तक कि अधिक आयु होने के कारण पात्र नहीं हैं।

7. राज्य की परोपकारिता नीति का उद्देश्य एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवार को भुखमरी, घोर गरीबी और अप्रत्याशित वित्तीय आपदा से बचाया जा सके जिससे वह पीड़ित है।

8. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता इन सभी वर्षों से वैकल्पिक आजीविका अर्जित कर रहा है, दर्शाता है कि उसे किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

9. इसके अलावा, यह सुस्थापित कानून है कि अनुकम्पा नियुक्ति को आरक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है; यह सक्षम उम्मीदवार को नौकरी से वंचित करने की कीमत पर बैकडोर एंट्री के माध्यम से नियुक्ति का वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

10. ऐसा होने के कारण, याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

11. लंबित आवेदन (यदि कोई हो), निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

21-धनुंजयएस/आरमाथुर-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़